


1

64

289

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व  
मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म०प्र०)



R-20/-

533  
13-9-13

R-1179-11/13

- 1- श्रीमती उर्मिला वर्मा पत्नी स्व० रमाकांत वर्मा
- 2- कु० नेहा वर्मा
- 3- परेश पटेल
- 4- शशांक पटेल

तीनों के पिता रमाकांत वर्मा सभी निवासी मानस नगर रीवा,

धककाश्रीरामने तिहसील-हुजूर, जिला-रीवा म०प्र०

ग दादा प्रसूमा  
क्र. दि. 13-9-13

—आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1- बैजनाथ तिवारी तनय भागवत प्रसाद तिवारी
  - 2- भागवत प्रसाद तिवारी तनय विशेष राम तिवारी
- दोनों निवासी ग्राम-कोष्टा, तहसील-रायपुर कर्चु०, जिला-रीवा  
म०प्र०

—अभावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर  
कलेक्टर साहब रीवा द्वारा प्रकरण  
कमांक 242/अ-6/निगरानी/11-12  
में पारित आदेश दिनांक 22-08-13  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई०

मान्यवर

निगरानी प्रकरण के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि, प्रक्रिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों एवं म०प्र० भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

120

M

- 2. क - बैजराज तिवारी
- ख - अनंत राम तिवारी
- ग - गोविंद प्रसाद तिवारी
- घ - अवध शरण तिवारी

6 मी. ब्री पिता 500 भागवत प्रसाद तिवारी  
 6 मी तिवारी - ग्राम - कोहडा  
 तहसील - (पपुर) कुरुं विहार सीता

— अविद्वगण

नोट - भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में अंतर 2 की सभ  
 काटा नाम उनके विधायक का नाम के नाम  
 प्रो. जगदीश

५

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R4179-III/13

जिला-रीवा

श्रीमती उर्मिला वर्मा / बैजनाथ तिवारी

(1)	(2)	(3)
<p>05/8/19 <del>सुनवाई</del></p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 242/अ-6/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">( महेशचन्द्र चौधरी ) सदस्य</p>	